13/3/19	वकील वादी उप० वादी रामराज PW1 के बयान दर्ज करवाये। वकील वादी साक्ष्य और पेश करना चाहते हैं, एक और अंतिम अवसर दिया जाता है। पत्रावली दिनांक 27/3/19 को पेश हो।
27/3/19	वकील वादी उप० पूर्वानुसार दिनांक 24/4/19 को पेश हो।
8/5/19	तारीख पेशी जनरल नोटिस से खाली जाने पर पत्रावली आज पेश हुई। वकील ~~फरीकेन~~ वादी उप०/~~SDO साहब~~ दीगर कार्यों में व्यस्त है। पूर्वानुसार दि० 29/5/19 को पेश हो।
29/5/18	वकील वादी उप० वादी कल्याण का साक्ष्य शपथपत्र पेश किया जो शामिल पत्रावली है। पत्रावली दिनांक 26/6/19 को पेश हो।
26/6/19	वकील वादी उप० साक्ष्य वादी में वादी कल्याण से जिरह हुई। साक्ष्य वादी समाप्त की जाकर पत्रावली वास्ते बहस अंतिम दिनांक 3/7/19 को पेश हो।
3/7/19	वकील फरीकेन वादी उप०/SDO साहब अवकाश / दौरे पर पधारे हैं। पूर्वानुसार दिनांक 10/7/19 को पेश हों।
10/7/19	वकील वादी उप० बहस एक वकील सुनी गई। पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 17/7/19 को पेश हो।
17/7/19	वकील वादी उप० दावा वादी डिक्री किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर शामिल किया गया। पत्रावली फैसल शुदा होकर नम्बर से कम हो।

तारीख
इसहुक्म
हुए ।

डिक्री मुकद्दमा इब्तदाई

(ग्रो० 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सपोटरा मुकाम करौली

व इजलास श्रीमती तारामती वैष्णव RAS उपखण्ड अधिकारी सपोटरा

पृष्ठ पर अंकित है। बनाम

दावा बाबत U/S 183/188 आर.टी.एक्ट

मुकदमा नं० 03/10 सन्

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कम्रई रूबरू हमारे

व हाजिरी श्री धीरेन्द्रपाल सिंह ... मिनजानिब मुद्दई रुबरु —

मिनजानिबमुद्दायलह पेश होकर हुक्म किया जाता है व डिगरी दी जाती है कि दावा वादीगण विरुद्ध प्रतिवादीगण डिक्री किया जाता है। वादीगण की खातेदारी की आराजी खसरा नं. 409/5 रकबा 0.1 बीघा वाकेग्राम अमरगढ़ तहसील सपोटरा से प्रतिवादीगण को बेदखल किये जाकर वादीगण को कब्जा दिलाये जाने के आदेश दिए जाते हैं तथा प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा के पाबंद किया जाता है कि वे वादीगण की खातेदारी की आराजी के कब्जे काश्त में तिज मदाखलत व मज़ाहमत नहीं करे ना ही किसी प्रकार का निर्माण करे।

खर्चा इस मुकदमे के मय सूद वशरह × फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक × का अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 17/07/2019 सन् 99 को जारी की गई।

मुहर (उपखण्ड अधिकारी एवं ... सपोटरा, जिला करौली (राज०) सत्यमेव जयते)

दस्तखत (तारामती वैष्णव) उपखण्ड अधिकारी

ओहदा सपोटरा, जिला–करौली

मुद्दई	रुपया	पैसे	मुद्दायलह	रुपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकालत नामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प बजह सबूत			महन्ताना वकील		
महन्ताना बकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत इजराय हुक्मनामा		
बाबतइजराय हुक्मनामा			मुतफरिक		
मुतफरिक			मीजान		

उनवान

1. रामखिलाड़ी पुत्र मौरव उम्र 45 साल
2. रामराज पुत्र मौरव उम्र 30 साल
3. कल्याण पुत्र बुधु उम्र 51 साल

समस्त जाति माली निवासी बकूल खेड़ा (अमरगढ़) सपोटरा जिला करौली (राज०)

— वादीगण

बनाम

1. खिलाड़ी पुत्र फोन्द्या उम्र 40 साल
2. मुकेश पुत्र खिलाड़ी उम्र 22 साल
3. रूपरूम पुत्र खिलाड़ी उम्र 19 साल
4. जलबाई पत्नि खिलाड़ी आयु 45 साल
5. मौसम पत्नि मुकेश आयु 21 साल
6. गुड्डी पत्नि रूपरूम आयु 19 साल
7. लैण्ड होल्डर तहसील सरकार सपोटरा जिला करौली

समस्त जाति मीणा निवासी तिकुरी (अमरगढ़) सपोटरा जिला करौली (राज०)

— प्रतिवादीगण

दावा बाबत बेदखली व स्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 183,18

(ताराम़ती वैष्णव)
उपखण्ड अधिकारी
सपोटरा, जिला–करौली

मु0नं0	किस्म	ता0दायरा	तारीख निर्णय
03/10	दावा	10.03.2010	17.07.2019

1. रामखिलाड़ी पुत्र भौरू उम्र 45 साल।
2. रामराज पुत्र भौरू उम्र 30 साल।
3. कल्याण पुत्र बुधू उम्र 51 साल।

समस्त जातियान माली निवासी बबूल खेड़ा (अमरगढ) तहसील सपोटरा जिला करौली राजस्थान।

—वादीगण

बनाम

1. खिलाड़ी पुत्र फोन्दया उम्र 46 साल।
2. मुकेश पुत्र खिलाड़ी आयु 22 साल ।
3. रूकम पुत्र खिलाड़ी आयु 19 साल ।
4. जलबाई पत्नि खिलाड़ी आयु 45 साल।
5. मौसम पत्नि मुकेश आयु 21 साल।
6. गुड्डी पत्नि रूकम आयु 19 साल।
7. लैण्ड होल्डर तहसीलदार सपोटरा जिला करौली।

समस्त जातियान मीना निवासी तिकूटी (अमरगढ) तहसील सपोटरा जिला करौली राजस्थान।

—प्रतिवादीगण

दावा बाबत् बेदखली व स्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 183, 188 आर.टी.एक्ट

उपस्थितः— श्री धीरेन्द्रपालसिह एड0 वकील वादीगण।

संक्षेप में वाद तथ्य वादीगण इस प्रकार से है कि वादीगण ने एक वाद विरूद्व प्रतिवादीगण इस आशय का पेश किया है कि आराजी खसरा नं0 310, 311, 314, 315, 316, 317, 322, 325, 326, 409/5 कुल किता 10 कुल रकबा 08 बीघा 15 बिस्वा वाके ग्राम अमरगढ तहसील सपोटरा वादीगण के स्वामित्व एवं खातेदारी व आधिपत्य की आराजीयात है, जिस पर वादीगण काबिज रहकर काश्त कर फसल लाभ लेते आ रहे है। प्रतिवादीगण 01 लगायत 06 ग्राम तिखूटी (अमरगढ) के निवासी है। जाति से सभी मीना है। जो लट्‌ठ, धनबलव राजनैतिक प्रभावशाली व्यक्ति है जो वादीगण के खातेदारी की आराजीयात व कब्जे काश्त मे मदालखत व मजामहत करते रहते है। प्रतिवादीगण द्वारा दिनांक 25.01.2010 को वादीगण की आराजी खसरा नं0 409/5 रकबा 04 बीघा मे पश्चिम दिशा मे नाजायज अतिक्रमण कर वादीगण की 10 बिस्वा जमीन को अपने ट्रैक्टर की सहायता से जोतकर, समतल कर उसमे पश्चिम उत्तर दिशा मे 20 हाथ लम्बी व 20 हाथ चोड़ी नींव खोदकर मकान के लिए नींव भरना शुरू कर दिया है। वादीगण द्वारा प्रतिवादीगण से नाजायज कब्जे कर मकान बनाने के नींव भरने से मना करने लगे तो प्रतिवादीगण ने एलानिया यह कहा कि हम तो सारी जमीन पर कब्जा करके तुम लोगों को बेदखल करके रहेगें। इसलिए वादीगण ने अपनी खातेदारी की भूमि से प्रतिवादीगण को बेदखलकर वादीगण को कब्जा दिलाये जाने, प्रवितादीगण द्वारा किये गये पक्के निर्माण को हटवाने एवं प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद करने का निवेदन किया है।

दावा वादीगण दर्ज कर तलबी प्रतिवादीगण जरिये सम्मन की गई। प्रतिवादीगण ने जरिये वकील अपना जवाबदावा पेश कर कथन किया कि वादीगण ने प्रतिवादीगण के खिलाफ झूंठा, मनगढन्त एवं सारहीन दावा पेश किया है क्योंकि हम प्रतिवादीगण ने स्वयं की खातेदारी मे निर्माण करवाया था एवं वादीगण की खातेदारी दूर होने के उपरान्त भी तंग व परेशान करने के लिए दावा पेश किया है। वादीगण को सीमाज्ञान करवाने के उपरान्त मालूम होता कि प्रतिवादीगण की आराजीयात वादीगण के कब्जे की मिलती। इसलिए दावा वादीगण खारिज फरमाया जावे।

वाद तथ्य, जवाबदावा एवं पत्रावाली पर उपलब्ध दस्तावेजात के आधार पर किता चार तनकीयात कायम की गई। वकील वादी ने साक्ष्य मे वादी सं0 2 रामराज पीडब्ल्यू—1, वादी सं0 03 कल्याण पीडब्ल्यू—2 के शपथ पत्र पेश किये जिनसे प्रतिवादीगण के वकील द्वारा जिरह नही की गई इनके बयान दर्ज कराये गये तथा दस्तावेजी साक्ष्य मे वकील वादीगण ने नकल जमाबंदी ग्राम अमरगढ सम्बत् 2063—66 प्रदर्श—1, नक्शा ट्रेस प्रदर्श—2, फर्द मौका दिनांक 17.06.2011 प्रदर्श—3 पेश किये है। प्रतिवादीगण ने कोई मौखिक साक्ष्य पेश नही किये है तथा ना ही कोई दस्तावेजी

(तारामती बैरवा)
उपखण्ड अधिकारी
सपोटरा, जिला—करौली

विद्वान अभिभाषक वादीगण की एकपक्षयीय बहस सुनी गई तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। दावा, जवाबदावा, उपलब्ध दस्तावेजों व बहस के अनसुार तनकीवाईज विवेचन निम्न प्रकार हैः–

1. **आया विवादित आराजीयात वादीगण की स्वामित्व एवं आधिपत्य की है ?** इस तनकी को साबित करने का भार वादीगण पर है। पत्रावली मे संलग्न जमाबंदी सं0 2063–67 ग्राम अमरगढ के अनुसार विवादित आराजीयात वादीगण की रिकार्डेड खातेदारी मे दर्ज है जिससे प्रतिवादीगण का कोई लेना देना नही है। अतः यह तनकी वादीगण के पक्ष मे विरूद्व प्रतिवादीगण तय की जाती है।
2. **आया प्रतिवादीगण ने वादीगण की 10 बिस्वा जमीन पर कब्जा कर लिया है, इसकलिए वादीगण प्रतिवादीगण को अपनी स्वामित्व की आराजी से बेदखल करवाने के अधिकारी है ?** इस तनकी को भी साबित करने का भार वादीगण पर है। पत्रावली मे संलग्न जमाबंदी सम्बत् 2063–67 के अनुसार वादीगण विवादित आराजीयात के रिकार्डेड खातेदार हैं। जिससे प्रतिवादीगण का कोई वास्ता नही है। प्रतिवादीगण के द्वारा अपनी प्रतिरक्षा मे ना तो कोई मौखिक साक्ष्य पेश किये है और ना ही कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश किये है। प्रतिवादीगण के वकील ने वाद पत्र मे नो इन्ट्रक्शन किये जाने के फलस्रूप इनके विरूद्व एक तरफा कार्यवाही के आदेश दिये जा चुके है। वादीगण द्वारा वाद पत्र मे प्रस्तुत नकल ट्रेस ग्राम अमरगढ की प्रमाणित प्रति प्रदर्श 3 मे दर्शाया गया अतिक्रमण से यह स्पष्ट है कि वादीगण की खातेदारी की आराजी खसरा नं0 409/5 के कुछ हिस्से पर प्रतिवादीगण का अतिक्रमण है। दिनांक 17.06.2011 के सीमाज्ञान फर्द मौका की प्रमाणित प्रति प्रदर्श 3 मे अतिक्रमी प्रतिवादीगण के नाम दर्शाये गये है। इसलिए वादीगण प्रतिवादीगण को अपनी खातेदारी की आराजी से बेदखल कराकर कब्जा प्राप्त करने के अधिकारी है। अतः यह तनकी वादीगण के पक्ष मे विरूद्व प्रतिवादीगण तय की जाती है।
3. **आया वादीगण प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद कराने के अधिकारी है ?** इस तनकी को साबित करने का भार भी वादीगण पर है। तनकी सं0 01 व 02 के विवेचन से यह स्पष्ट है कि विवादित आराजीयात वादीगण की सेपरेट खातेदारी की भूमि है तथा वादीगण की खातेदारी की आराजी के कुछ हिस्से पर प्रतिवादीगण का कब्जा है। इसलिए वादीगण प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद कराने का अधिकारी है। अतः यह तनकी वादीगण के पक्ष मे विरूद्व प्रतिवादीगण तय की जाती है।
4. **आया दावा वादीगण झूंठा एवं मनढन्त तथ्यों पर पेश किया है, इसलिए दावा वादीगण खारिज होने योग्य है ?** इस तनकी को साबित करने का भार प्रतिवादीगण को है। विवादित आराजीयात वादीगण की खातेदारी की आराजी है यह जमाबंदी नकल ग्राम अमरगढ सम्बत् 2063–2067 से स्पष्ट है। प्रतिवादीगण का वादीगण की खातेदारी की आराजी के कुछ हिस्से पर अतिक्रमण है यह सीमाज्ञान फर्द मौका एवं नकल ट्रेस की प्रमाणित प्रति से स्पष्ट है। वादीगण ने प्रमाणिक तथ्यों के आधार पर वाद पत्र पेश किया है। प्रतिवादीगण ने ना तो अपनी मौखिक साक्ष्य करवाई है और ना ही कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश किये है। इसलिए यह तनकी विरूद्व प्रतिवादीगण तय की जाती है।
5. **अनुतोषः–** उपर्युक्त तनकीवाईज विवेचन से यह स्पष्ट है कि वादीगण विवादित भूमि के खातेदार दर्ज रिकार्ड है तथा प्रतिवादीगण का वादीगण की खातेदारी की भूमि के कुछ हिस्से पर अवैध कब्जा साबित हैं। इसलिए वादीगण प्रतिवादीगण को अपनी खातेदारी की आराजी से बेदखल कराकर कब्जा प्राप्त करने के अधिकारी है अतः दावा वादीगण डिकी किये जाने योग्य है।

अतः दावा वादीगण विरूद्व प्रतिवादीगण डिकी किया जाता है। वादीगण की खातेदारी की आराजी खसरा नं0 409/5 रकबा 04 बीघा वाके ग्राम अमरगढ तहसील सपोटरा से प्रतिवादीगण को बेदखल किये जाकर वादीगण को कब्जा दिलाये जाने के आदेश दिये जाते है तथा प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वे वादीगण की खातेदारी की आराजी के कब्जे काश्त मे मदाखलत एवं मजामहत नही करे ना ही किसी प्रकार का निर्माण करे। इसी अनुसार पर्चा डिकी जारी हो। आदेश आज दिनांक 17.07.2019 को सरे इजलास लिखाया जाकर सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(तारामती वैष्णव आरएएस)
उपखण्ड अधिकारी
सपोटरा जिला करौली